"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2013—आश्विन 9, शक 1935

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-21/17/तेरह-2/2013. —— छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-स द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

(1) अनुसूची के भाग-क के स. क्र. 10 के कॉलम (2) से संबंधित प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"15,000 अश्व शक्ति तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, राईस/दाल मिल, साल्वेन्ट प्लांट, फेरो एलायज तथा अन्य लघु व मध्यम उद्योग जिसमें सम्मिलित है सभी डाऊन स्ट्रीम एवं विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर एलाईड कनेक्शन आदि."

(2) अनुसूची के भाग-क के स. क्र. 13 के कॉलम (2) से संबंधित प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"ऐसे सभी उपभोक्ता जो 15,000 अश्व शक्ति से अधिक भार से संबंधित हैं और जो ऊपर उल्लिखित किसी भी समूह में सम्मिलित नहीं है तथा 150 अश्व शक्ति से अधिक गैर औद्योगिक उपभोक्ताओं (जिसमें घरेलू एवं गैर-घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित हैं), शॉपिंग माल एवं अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु उच्चदाब उपभोक्ता एवं 150 अश्व शक्ति से अधिक भार वाले तथा संयंत्र (खान) के बाहर एवं उससे संलग्न स्टोन क्रेशर."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ-21/17/तेरह-2/2013.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th September 2013

NOTIFICATION

No. F-21/17/13-2/2013.— In exercise of the powers conferred by Section 3-C of Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. X of 1949), the State Government, hereby, makes the following amendment in Schedule of the said Act, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

AMENDMENT

(1) For the entries relating to column (2) of S. No. 10 of PART-A of the Schedule, the following shall be substituted, namely :-

"All Steel Plants, Rolling Mill, Sponge Iron Plants, Rice/Dal Mill, Solvent Plants, Ferrow Alloys and other Small & Medium Industries including all Down Streams and Manufacturing units, Poultry Farm, Agriculture Allied connections etc. upto 15,000 HP."

(2) For the entries relating to column (2) of S. No. 13 of PART-A of the Schedule, the following shall be substituted, namely :-

"All such consumers with connected load above 15000 HP and not included in any of the groups mentioned above and Non-Industrial consumers above 150 HP (including domestic and non-domestic consumers), shopping mall, other general purpose HT consumers and Stone crusher having load above 150 HP situated out side & adjacent to the Plant above 15000 HP."

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
B. ANANDA BABU, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.